मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक:08.10.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियोग में आरोपी को करायी गई आजीवन कारावास एवं ₹ 26,000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत “पीयूष मोर्डिया” अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व “आर.पी.सिंह” पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना कछवां पर हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय ASJ-i जनपद मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹ 26,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण —

दिनांकः 28.04.2022 को थाना कछवां पर वादी जीतलाल पाल पुत्र आत्माराम पाल निवासी गोधना थाना कछवां जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि वादी के पिता आत्माराम पाल की अभियुक्तों द्वारा लाठी-डण्ड़ा से मारपीट करने व फावड़ा से वार कर हत्या कर दी गयी। उक्त के सम्बन्ध में थाना कछवां पर मु0अ0सं0-63/2022 धारा 302,323/34 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था। “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना कछवां पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सच्चिदानन्द तिवारी, विवेचक- उप निरीक्षक राम स्वरूप वर्मा, कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी वेद प्रकाश यादव व मुख्य आरक्षी हवलदार सिंह यादव तथा पैरोकार- मुख्य आरक्षी निजाम अली द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप आज दिनांकः 08.10.2025 को मा0न्यायालय ASJ-i जनपद मीरजापुर –संतोष कुमार गौतम द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राकेश पाल पुत्र बजरंगी पाल निवासी ग्राम गोधना थाना कछवां जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 302,323 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹ 26,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

******